न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 89/2009

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम पुत्र स्व0 श्री रावतराम के का.मु.– 1/1 श्रीमति ज्ञान कंवर पत्नि स्व0 चिमनसिंह 1/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 चिमनसिंह 1/3 मनोहरसिंह पुत्र स्व0 चिमनसिंह 1/4 संतोकसिंह पुत्र स्व0 चिमनसिंह जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 1/5 मंजूलता पुत्री स्व0 चिमनसिंह पत्नि प्रेमसुख, जाति माली, निवासी ग्राम मथानिया। 1/6 गीता पुत्री स्व0 चिमनसिंह पत्नि अभिषेक, जाति माली, निवासी सोजती गेट के अन्दर, कविराजजी का बाड़ा, जोधपुर ।		01. भूराराम पुत्र श्री रावतराम के का.मु.– 1/1 रूघनाथ सिंह पुत्र स्व0 श्री भूराराम 1/2 चुन्नीलाल पुत्र स्व0 श्री भूराराम, जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 1/3 मुन्नी पत्नि श्री हुकमसिंह, पुत्री स्व0 श्री भूराराम, जाति माली, निवासी ग्राम चुतरावास, मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर । 1/4 सोनी देवी पत्नि स्व0 भूराराम, जाति माली, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 2 बाबुलाल पुत्र स्व0 रावतराम 3 देवाराम 4 नृसिंह 5 केवलराम पुत्रान स्व0 भूराराम 6 छोगीदेवी 7 सुरता देवी पुत्रियां स्व0 भूराराम 8 अणदाराम 9 केवलराम पुत्रान स्व0 रावतराम 10 रमेश पुत्र स्व0 दलाराम 11 ताराचन्द पुत्र स्व0 पोकरराम 12 अलचीदेवी पत्नि स्व0 पोकरराम के काश्त मुकाम– 12/1 लीलादेवी पुत्री स्व0 पोकरराम, पत्नि श्री सत्यनारायण, निवासी ग्रम तिंवरी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर । 13 जैनाराम पुत्र स्व0 दलाराम 14 गोदाराम पुत्र स्व0 अचलाराम 15 ढ़लाराम पुत्र स्व0 आसुराम 16 जस्साराम पुत्र स्व0 आसुराम 17 सुन्दरी पत्नि स्व0 आसुराम 18 सुमेरराम पुत्र स्व0 भंवराराम 19 जगदीश पुत्र स्व0 भंवराराम 20 पुखराज पुत्र स्व0 भंवराराम सभी जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 21 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी। 22 अमित एम. शाह पुत्र श्री महेन्द्रकुमार शाह 23 सुकेतु एस. शाह पुत्र श्री शरद कुमार शाह, जातियान जैन, निवासीगण 17, शांति नगर, उंझा, तहसील उंझा, जिला मेहसाना, गुजरात।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश शर्मा ।
2. अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।

आदेश

दिनांक :– 22-1-2020

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी । पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम सालावास, पटवार क्षेत्र सालावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खेत खसरा संख्या 141 कुल रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा में से 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी आई हुई हैं । जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 का संयुक्त कब्जा काश्त हैं एवं प्रार्थी इस पर पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से काश्त कर रहा हैं । उक्त कृषि भूमि प्रारम्भ में लालूजी पुत्र थानारामजी का 1/4 हिस्सा था जिन्होने अपनी बहिन घवरी देवी के नाम अपना 1/4 हिस्सा कर दिया था ताकि अपनी बहिन घवरी देवी के तीनो पुत्रों को उक्त कृषि भूमि प्राप्त हो सके । परन्तु उस समय प्रार्थी की माता घवरी देवी के दो पुत्र नाबालिग एवं नासमझ थें एवं एक मात्र भूराराम ही बालिग थे इसलिये परम्परागत रूप से भूराराम अप्रार्थी संख्या एक अकेले का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया । जबकि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि के 1/4 हिस्से के लिए अप्रार्थी संख्या एक के साथ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था । उक्त कृषि भूमि के अतिरिक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर में खेत खसरा संख्या 48 रकबा 102 बीघा 02 बिस्वा एवं खेत खसरा संख्या 559 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा भी आई हुई हैं जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि हैं जिसकी पुष्टि राजस्व रेकर्ड से भी होती हैं । अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी के सगे बडे भाई हैं जिन्होने आज से 30 वर्ष पूर्व ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के होश संभालते ही तथा विवाह करने के पश्चात गृहस्थी बनते ही बंटवाड़ा कर दिया । उस समय प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा था जो रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी बनता हैं । अप्रार्थी संख्या एक ने खसरा संख्या 141 व खसरा संख्या 48 व 559 की कृषि भूमियों का बंटवाड़ा करते हुए खसरा संख्या 141 में बनने वाला 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के बंट में रखा इसकी एवज में खसरा संख्या 559 का रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा अपने अकेलें के हक में बंट में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

रखा जिस पर अप्रार्थी संख्या एक पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज हैं एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से खसरा संख्या 141 के रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी पर काबिज हैं एवं काश्त कार्य कर रहें हैं । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के बंट में आया उक्त खसरा संख्या 141 का कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी दो ऊकड़ों में बंटा हुआ हैं जिसमें से एक टूकड़ा 12 बीघा का एवं दूसरा टूकड़ा 08 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी का हैं जिसमें से 12 बीघा के टूकड़े पर प्रार्थी का एवं 08 बीघा 12 बिस्व 04 बिस्वांसी टूकड़े पर अप्रार्थी संख्या दो बाबूलाल का कब्जा काश्त हैं । अप्रार्थी संख्या एक ने परिवार का कर्ता खानदान होने की हैसियत से खसरा संख्या 48 रकबा 108 बीघा 02 बिस्वा का बंट करते हुए स्वयं के हिस्से में 30 बीघा जमीन रखी एवं प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या दो के प्रत्येक के हिस्स में 36 बीघा 01 बिस्वा जमीन रखी । इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व **दो पिछले 30** वर्षो से अधिक समय से पारिवारिक बंटवाड़े के मुताबिक अपने अपने हक **हिस्से पर काबिज चले** आ रहें है एवं शांतिपूर्ण तरीके से काश्त कर अपना व अपने **परिवार का पालन पोषण** कर रहें हैं । उक्त खसरा संख्या 141 की कृषि भूमि के **राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी** संख्या एक भूराराम का नाम कर्ता खानदान की हैसियत से **परिवार में बड़ा भाई** होने के कारण एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो नाबालिग एवं **नासमझ होने के कारण** दर्ज करवा दिया था जिसे पारिवारिक बंटवाड़े के मुताबिक **दुरूस्त कराने के लिए** प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को कई बार निवेदन किया गया **परन्तु अप्रार्थी संख्या एक** द्वारा हर बार टाल मटोली की जाती रही । हालांकी प्रार्थी **एवं अप्रार्थी संख्या एक व** दो पारिवारिक बंटवाड़े के तहत अपने अपने बंट में आये हक **हिस्से पर पिछले 30 वर्षो से अधिक समय** से काबिज हैं लेकिन भविष्य में किसी प्रकार **का कोई विवाद नहीं हो इस दृष्टि से प्रार्थी** एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो ने दिनांक **30.05.2002 को यादशाहत बंटवाड़े के रूप** में तीनो खसरा की कृषि भूमि का बंटवाड़ा **लिखते हुए अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये** एवं परिवार के सदस्यों के भी इस पर **हस्ताक्षर किये गये । दिनांक 30.05.02 को प्रार्थी** एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की **माताजी श्रीमति घवरी देवी जीवित थी । जिनकी** उपस्थिति में उक्त बंटवाड़ा लिखा **गया एवं माताजी घवरी देवी के बंट में भी 07** बीघ कृषि भूमि रखी गयी । जिस लिखा **पढ़ी पर स्वयं प्रार्थी के एवं अप्रार्थी** संख्या एक व दो के हस्ताक्षर व **अंगुष्ठ निशान हैं तथा माता श्रीमति घवरी** देवी के भी अंगुष्ठ निशान हैं एवं इसके **अलावा ओमप्रकाश, रघुनाथसिंह, संतोकसिंह** के भी हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार प्रार्थी एंव **अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा पारिवारिक** बंटवाड़े को दिनांक 30.05.2002 की बंटवाड़े की लिखित के **जरिये पुष्ट किया हैं**। जिससे अप्रार्थी संख्या एक व दो हर सूरत में कानूनन बाध्य एवं पाबन्द हैं । अप्रार्थी संख्या एक को प्रार्थी द्वारा बार बार निवेदन करके राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कराने का निवेदन किया परन्तु हर बार अप्रार्थी संख्या एक द्वारा टाल मटोली

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

की जाती रही एवं बंटवाड़ा दिनांक 30.05.2002 के मुताबिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करवाया एवं अभी हाल ही में राजस्व रेकर्ड में केवल मात्र अपना नाम ही दर्ज होने का फायदा उठाकर कमीशन एजेण्टों एवं दलालों को जमीन लाकर दिखानी शुरू कर दी जिस पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा एतराज किया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या एक नहीं माना एवं ऐलानियां धमकी देने लगा कि राजस्व रेकर्ड में अकेले स्वयं का नाम होने का फायदा उठाकर जमीन का बेचान हस्तान्तरण कर देगा जिससे उसे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं । प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि हैं जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा काश्त हैं हालांकि 30 वर्षो पूर्व किये गेय बंटवाड़े के तहत प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के बंट में रखी गयी थी परन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपनी नीयत में बदलाव लाने के कारण दिनांक 30.05.2002 को प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा संख्या 141 की कृषि भूमि तीनो भाईयों के बंट में रखी गयी जिसे भी प्रार्थी ने पारिवारिक, शांति एवं भाई चारा बना रहें इसलिये मान्य किया परन्तु अप्रार्थी संख्या एक दिनांक 30.05.2002 को किये गये बंटवाड़े से भी मुकर रहा हैं एवं प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने अकेले के नाम होने का गलत फायदा उठाकर बेचान हस्तान्तरण करने पर तुला हुआ हैं । प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि हैं जिसकी पुष्टि पारिवारिक बंटवाड़े की लिखित दिनांक 30.05.2002 से भी भलीभांति होती हैं इस प्रकार प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार काश्तकार होने की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस हेतु से यह वाद बाबत् घोषणा का माननीय न्यायालय में पेश हैं । प्रार्थी ने दिनांक 30.05.2002 की बंटवाड़े की लिखित के मुताबिक भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का अप्रार्थी संख्या एक को निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या एक अपने पुत्र रघुनाथसिंह के सिखावें में होने के कारण मान नहीं रहा हैं एवं प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने पर तुला हुआ है जिससे उसे रोका जाना आवश्यक हैं । इस वर्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो ने खसरा संख्या 141 के रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी कृषि भूमि पर मूंग एवं तिल की सावणु फसल बो रखी हैं जिसकी देखरेख करने के लिये प्रार्थी अपने पुत्र मनोहरसिंह व ओमप्रकाश के साथ दिनांक 01.09.2008 को सुबह करीब 10 बजे खेत पर गया हुआ था तब अप्रार्थी संख्या एक मौके पर चार–पांच व्यक्तियों के साथ मौजूद मिला जिनके बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वे उक्त कृषि भूमि को देखने के लिए आये हुए है एवं अप्रार्थी संख्या एक उक्त कृषि भूमि को अपनी बताकर उसे बेचान का प्रयास करते हुए बातचीत कर रहा था जिस पर प्रार्थी ने तुरन्त एतराज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

करते हुए बंटवाड़े में उक्त कृषि भूमि स्वयं के बंट में आने की जानकारी उन संभावित खरीददारों को दी तो अप्रार्थी संख्या एक व उसका पुत्र रघुनाथसिंह प्रार्थी के साथ गाली गलौच करने लगा एवं प्रार्थी को ऐलानियां धमकी देने लगा कि कितने दिन ग्राहकों को वापस भेजेगा हम लोग बहुत जल्दी ही इसका बेचान कर देंगे । इस कारण प्रार्थी के समक्ष अब उपरोक्त वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहा हैं । खसरा संख्या 141 कुल रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा का हैं जिसमें से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो का तो केवल 1/4 हिस्सा यानि कुल 20 बीघा 12 बिस्वा 04 बिस्वांसी ही बनता हैं परन्तु कुल रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या तीन से 19 भी सह खातेदारान हैं । खसरा संख्या 141 कुल रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा के इन सभी सहखातेदारान के अपना अपना बंट मौके पर तो अपने अपने हक हिस्से अनुसार अलग अलग कर रखा हैं परन्तु राजस्व रेकर्ड में उसके अलग अलग इन्द्राज हो रखा हैं इस कारण अप्रार्थी संख्या 03 से 19 को भी हस्तगत वाद में पक्षकार मुकद्धमा बनाया गया हैं । अप्रार्थी संख्या तीन से 19 द्वारा अपेन अपने हिस्से पर ही काश्त की जा रही हैं एवं अपने अपने हक हिस्से की मोके पर माठ भी बनाई हुई हैं । अप्रार्थी संख्या तीन से 19 के द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त मे कभी दखल अंदाजी नहीं की गयी इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या तीन से 19 के द्वारा प्रार्थी का नाम खसरा संख्या 141 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के आधार पर कभी भी तंग व पेरशान नहीं किया गया अब चूंकी जमीन की किमतों में भारी बढ़ोतरी हो गयी हैं इस कारण अप्रार्थी संख्या एक द्वारा न तो 30 वर्ष पूर्व किये गये बंटवाड़े को ही मान्यता दी जा रही हैं और न ही दिनांक 30.05.2002 की पारिवारिक बंटवाड़े की लिखित के अनुसार ही संव्यवहार ही किया जा रहा हैं जबकि अप्रार्थी संख्या एक दिनांक 30.05.2002 की लिखित से हर सूरत में बाध्य एवं पाबन्द हैं । प्रथम दृष्ट्या वाद एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में हैं प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी सहखातेदार काश्तकार हैं जिस पर प्रार्थी का पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा हैं उस पर प्रार्थी काश्त कर रहा हैं एवं प्रार्थी ने इस वर्ष सावणु फसल बोते हुए मूंग तिल की फसल भी बो रखी हैं इन सबके अतिरिक्त स्वयं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 30.05.2002 को पारिवारिक यादशाहत बंटवाड़े की लिखित पर अपने हस्ताक्षर करते हुए अपने आप को बाध्य एवं पाबन्द किया हैं यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि अप्रार्थी संख्या एक के तीनो पुत्रों द्वारा भी रूबरू गवाहान हस्ताक्षर किये गये हैं इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत विबन्धन के सिद्धान्त से बाध्य एवं पाबन्द हैं बंटवाड़ा लिखत दिनांक 30.05.2002 हर सूरत में मान्य हैं । अप्रार्थी संख्या एक कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि वह राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का इन्द्राज होने की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

त्रुटि का बेजा फायदा उठाते हुए प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी की कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण करें यदि अप्रार्थी संख्या एक अपने गैर कानूनी मकसद में कामयाब होते हैं तो अप्रार्थी अपने कानूनी हक अधिकारों से वंचित रह जावेंगा एवं उसे अपूर्णीय क्षति होगी इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में हैं यदि दौराने मूलवाद अप्रार्थी संख्या एक को बेचान हस्तान्तरण से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीया बढ़कर वाद की बहुलता को बढ़ावा मिलेगा । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हर सूरत में कानून संगत एवं न्यायसंगत हैं एवं अंत में निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी पारित फरमायी जाकर अप्रार्थी संख्या एक को पाबन्द किया जावें कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य के जरिये करावें । प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि से बेदखल न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य के जरिये करावें एवं प्रार्थी के उपयेाग व उपभोग में एवं कब्जा काश्त में कोई बाधा अड़चन न तो स्व्यं पैदा करें और न ही किसी अन्य के जरिये करावें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया ।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया एवं इसके प्रतिउत्तर में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । इस प्रकरण में दिनांक 01.09.2016 के आदेश के विरूद्ध प्रार्थी संतोक सिंह द्वारा एक निगरानीं संख्या 6752/2016 माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में बअनवान संतोकसिंह बनाम रूघनाथसिंह वगैरा प्रस्तुत की । उक्त निगरानी का माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 06.04.2017 को आदेश पारित करते हुए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2016 को खारिज किया गया एवं साथ ही यह भी आदेश दिया कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो को देखते हुए प्रकरण आगामी छः माह में आवश्यक रूप से नियमानुसार विधि अनुरूप निर्णित किया जावें तथा प्रकरण में स्थगन ताफैसला यथावत जारी रहेगा का निर्णय पारित किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

आदेश

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम को प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 141 कुल रकबा 82.09 बीघा में से 20.12.04 बीघा जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का संयुक्त कब्जा काश्त है। जिस पर अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी पारित किया जाना व अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम को इस कदर पाबन्द किया जाना कि पद संख्या 1 में वर्णित विवादित आराजी का बैचान व हस्तानान्तरण न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य के जरिये करावें। प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में तथा कब्जा काश्त में बाधा अडचन न तो स्वयं पैदा करे न ही किसी अन्य के जरिये करावें , उचित है।

चूंकि उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी/टीए/6752/2016/जोधपुर अनवान् सन्तोक सिंह बनाम रघुनाथसिंह में आदेश दिनांक 06.04.2017 के द्वारा स्थगन ताफैसला यथावत् जारी रखने का आदेश दिया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Parihar
Date: 2020.02.26 11:45:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: